HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 2616/2025
In
S. B. Criminal Appeal No. 3340/2025

Kailashchand Banjara S/o Shri Choturam Banjara, Aged About 45 Years, R/o Village Panihari, Tehsil Sambhar, District Jaipur Rural At Present House No.59, 60-B, Shriram Vihar, Karni Palace Road, Panchyawala, Police Station Karni Vihar, Jaipur.
(At Present Sentenced Suspended By The Trial Court Vide Judgment Dated 19.11.2025 Till 18.12.2025)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Victim, R/o

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shubham Saini, Adv. for Mr. Rajendra Singh Tanwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

06/05/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम–02, अजमेर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या

163/2024 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से धारा 354A, भा.दं.सं. तथा धारा 7/8 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 03 वर्ष के **कठोर** कारावास की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि विवचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.11.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करार दिया गया था, तत्समय अभियुक्त का दण्डादेश स्थगित किया गया था लेकिन उसके उपरांत इस न्यायालय से दण्डादेश स्थगित नहीं होने के कारण से अभियुक्त विचारण न्यायालय में वांछित है, अभियुक्त को उपरोक्तानुसार अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, दौराने अन्वीक्षा जमानत पर था, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पीड़ित पक्ष बावजूद नोटिस तामील कोई उपस्थित नहीं है।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त **कैलाशचन्द बंजारा पुत्र श्री छोटूराम बंजारा की ओर से विचारण न्यायालय के द्वारा**

अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस न्यायालय में **दिनांक 08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय** द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 19.11.2025** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /30